


# फर्द अहकाम

ओमप्रकाश चौधरी बनाम राजस्थान सरकार

475/25

त्र:

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष दिवस
1.06.2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2265 रकबा 0.83 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.83 है0 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार वगरू के आदेश क्रमांक: भू.अ./25/918 दिनांक 15.05.2025 की पालना में दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष ग्राम हसमपुरा वास नेवटा के खसरा नम्बर 124 किश्म गै.मु. चाह. को मुस्तकिल विन्दू मानते हुए खसरा संख्या 2265 की चारो सीमाओं पर जरीव चलाकर सीमांकन की जानकारी दी व सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>वहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2265 रकबा 0.83 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.83 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 26.05.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुस्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से क्रम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p>	